न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 42/2019 अपील

1.मोहब्बत खां पुत्र ताज खां कायमखानी मुसलमान निवासी भीमपुरा तहसील बनेडा –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा – प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार, बनेडा प्रकरण संख्या 03/2019 कार्यवाही अन्तर्गत धारा– 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांकित 08.08.2019

उपस्थित –
1. श्री विकास जायसवाल अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषाक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार बनेडा प्रकरण सं. 03/2019 निर्णय दिनांक 08.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का बामणिया तहसील बनेडा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही इस आशय की पेश की कि अपीलार्थी द्वारा सरहद भीमपुरा पटवार हल्का बामणिया तहसील बनेडा की चारागाह आराजी नम्बर 39 में से 05 बिस्वा पर बाड लगाकर निर्माण सामग्री डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया। उक्त अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा मामले में अधिकार पेश किया गया व प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि प्रार्थी का जिस जगह पर कब्जा है, वह चारागाह/सरकारी भूमि नही है वह आबादी भूमि है। जिस हेतु अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु ईद के बाद की तारीख पेशी दिलायी जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के वर्णित तथ्यों की जांच कराये बिना व बिना अपीलार्थी का सुनवायी का अवसर दिये, अपीलार्थी को भूमि से बेदखल किये जाने व निर्माण सामग्री जब्त सरकार कर निलाम किये जाने व भूमि का वार्षिक लगान 0.20 रूपये का 50 गुणा 10/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में सम्मन नोटिस दिनांक 31.07. 2019 के प्राप्त हुए, जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अधिकारपत्र पेश किया गया व मामले में दिनांक 08.08.2019 की तारीख पेशी नियत की गयी, जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.08.2019 को एक प्रार्थनापत्र पेश किया कि ''विपक्षी को सुनवाई का अवसर दस्तावेजों एवं राजस्व अभिलेखों की नकले लेकर पेश करने हेतु दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा नोटिस में जो सुनवाई का अवसर देना लिखा है, जो

व्यर्थ हो जायेगा, इसके अलावा मौके की रिपोर्ट भी गलत है, भूमि आबादी क्षेत्र की है, पक्का निर्माण भी है, न्यायहित में ईद बाद की तारीख साक्ष्य पेश करने हेतु दी जावे।'' उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर केवल मात्र साक्ष्य सबूत पेश नही करने बाबत आदेशिका लिखकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा, बल्कि जो निर्माण है, जो आबादी भूमि आराजी नम्बर 38 व 285/39 में स्थित है। पटवार हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट पत्रावली में पेश की है, जिसमें कोई तारीख भी अंकित नही है व साथ ही अपीलार्थी के अलावा अब्बास अली व मुबारिक खां के विरूद्ध आराजी नम्बर 39 में ही 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही के मौका पर्चा बनाये गये है, तीनों में तारीख अंकित नहीं है व जो मौके पर उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर भी अलग अलग है व मौका पर्चा में अंकित हीरा, गंगाराम व देबीलाल नाम के व्यक्ति गांव में निवास नही करते है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि आबादी भूमि की होना बताया गया व साक्ष्य सबूत रेकार्ड पेश करने हेतु अवसर चाहा गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि के संबंध में जांच कराये बिना व बिना मौके पर नपती कराये विधि से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है। मामले में न तो पटवार हल्का के बयान लिये गये व न ही किसी स्वतंत्र व्यक्ति या मौका पर्चा में अकित व्यक्तियों के बयान भी लेखबद्ध किये, बिना साक्ष्य के अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलार्थी का विवादित स्थल पर वर्षो पुराना अपने पूर्वजों के समय से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व अपीलार्थी के पास मकान आदि बने हुए है। यदि अपीलार्थी को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थी के वैध हक अधिकारों का हनन होगा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रकरण संख्या 35/2019 दिनांक 21.08.2019 से दर्ज की गयी। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 750 दिनांक 08.11.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा म दिनांक 20.11.2019 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के वर्णित तथ्यों की जांच कराये बिना व बिना अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये, अपीलार्थी को भूमि से बेदखल किये जाने व निर्माण सामग्री जब्त सरकार कर निलाम किये जाने व भूमि का वार्षिक लगान 0.20 रूपये का 50 गुणा 10/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि आबादी भूमि की होना बताया गया व साक्ष्य सबूत रेकार्ड पेश करने हेतु अवसर चाहा गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि के संबंध में जांच

कराये बिना व बिना मौके पर नपती कराये विधि से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है। मामले में न तो पटवार हल्का के बयान लिये गये व न ही किसी स्वतंत्र व्यक्ति या मौका पर्चा में अंकित व्यक्तियों के बयान भी लेखबद्ध किये, बिना साक्ष्य के अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलार्थी का विवादित स्थल पर वर्षो पुराना अपने पूर्वजों के समय से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व अपीलार्थी के पास मकान आदि बने हुए है। यदि अपीलार्थी को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थी के वैध हक अधिकारों का हनन हागा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम भीमपुरा के आराजी नं. 39 रकबा 0.05 बीघा पर दौराने संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से बाड़ निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा दिनांक 08.08.2019 को पारित निर्णय अनुसार उक्त आराजियात से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व शास्ति लगान 0.20 का 50 गुणा 10/—रूपये अधिरोपित कर वसूलने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया है, जो सही है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम भीमपुरा के आराजी नं. 39 रकबा 66.02 बीघा भूमि किस्म चारागाह में से 0.05 बिस्वा पर दौराने संवत् 2076 मे अनाधिकृत रूप से बाड़ निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा दिनांक 08.08.2019 को पारित निर्णय अनुसार उक्त आराजियात से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व शास्ति लगान 0.20 का 50 गुणा 10/—रूपये अधिरोपित कर वसूलने के दण्ड से दण्डित किया गया हैं जो सही है। न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा के प्रकरण सं. 03/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 विधि सम्मत हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 03/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:52:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: